

EXTRACT FROM THE GAZETTE OF INDIA: PART - II — SEC. V SUB. SEC - (i)

Appearing on Page No. 583-584

Dated 2-3-96

जल संसाधन मंत्रालय

MINISTRY OF WATER RESOURCES

(ई. आर. विंग)

नई दिल्ली, 16 फरवरी, 1996

सा. का. नि. 112- केन्द्रीय सरकार, ब्रह्मपुत्र बोर्ड अधिनियम, 1980 (1980 का 46) की 112 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्

(च) वित्तीय शक्तियों का प्रयोग करणी और उनके दिन प्रतिदिन के क्रियाकलाप के लिए बोर्ड के क्षेत्र कार्यालय में विभिन्न कार्यपालक कृत्यकारियों को वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन करेगी।

(सं. 23/4/96- ई. आर)

हर्षगोपाल लेखवाणी, अवर सचिव

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :- 1. इन नियमों का संक्षिप्त नाम ब्रह्मपुत्र बोर्ड (स्थायी समिति) नियम, 1996 है।

(ER Wing)

New Delhi, the 16th February, 1996

G.S.R. 112-- In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 28 of the Brahmaputra Board Act, 1980 (46 of 1980), the Central Government hereby makes the following rules, namely :-

1. Short title and commencement.--(1) These rules may be called the Brahmaputra Board (Standing Committee Rules, 1996)

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definition.- In these rules, unless the context otherwise requires :-

- "Act" means the Brahmaputra Board Act, 1980 (46 of 1980) ;
- "Board" means the Brahmaputra Board established under Section 4 of the Act;
- "Master Plans" means Master Plans prepared by the Brahmaputra Board;
- "Chairman" means the Chairman of the Brahmaputra Board;
- "Vice-Chairman" means the Vice-Chairman of the Brahmaputra Board;
- "General Manager" means the General Manager of the Board;
- "Financial Adviser" means the Financial Adviser to the Board;
- "Member" means Member, Central Water Commission;
- "Secretary to the Government of Assam" means the Secretary to the Government of Assam, Flood Control Department.

- ये तजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- परिभाषा : इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो;
 - "अधिनियम" से ब्रह्मपुत्र बोर्ड अधिनियम, 1980 (1980 का 46) अभिप्रेत है;
 - "बोर्ड" से अधिनियम की धारा 4 के अन्तर्गत स्थापित ब्रह्मपुत्र बोर्ड अभिप्रेत है;
 - "मास्टर प्लान" से ब्रह्मपुत्र बोर्ड द्वारा तैयार किया गया मास्टर प्लान अभिप्रेत है;
 - "अध्यक्ष" से ब्रह्मपुत्र बोर्ड का अध्यक्ष अभिप्रेत है;
 - "उपाध्यक्ष" से ब्रह्मपुत्र बोर्ड का उपाध्यक्ष अभिप्रेत है;
 - महाप्रबन्धक से बोर्ड का महाप्रबन्धक अभिप्रेत है;
 - "वित्तीय सलाहकार" से बोर्ड का वित्तीय सलाहकार अभिप्रेत है;
 - "सदस्य" से सदस्य, केन्द्रीय जल आयोग अभिप्रेत है;
 - "सचिव, असम सरकार" से सचिव, असम सरकार, बाढ़ नियंत्रण विभाग अभिप्रेत है।

3. सभी शब्दों और पदों के, जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं किन्तु परिभाषित नहीं हैं, वही अर्थ ले जाये जो उनके उस अधिनियम में हैं।

4. स्थायी समिति की संरचना- स्थायी समिति निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :-

- बोर्ड का अध्यक्ष/उपाध्यक्ष-अध्यक्ष
- सदस्य, केन्द्रीय जल आयोग-सदस्य
- वित्तीय सलाहकार-सदस्य
- सचिव, असम सरकार-सदस्य
- महाप्रबन्धक-सदस्य (संयोजक)

5. स्थायी समिति के कर्तव्य, शक्तियां और कृत्य :-

स्थायी समिति-

(क) प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए बजट आवंटन के मुकाम पर प्रस्थापित सर्वेक्षण और खनन के लिए बोर्ड द्वारा तैयार किए गए वार्षिक कार्य योजना की परीक्षा करेगी और समुचित रूप में कर्तव्य करने के लिए बोर्ड को सलाह देगी।

(ख) बोर्ड द्वारा विनिश्चित मास्टर प्लानों बहुउद्देशीय परियोजनाओं जल विकास विकास कीमतों तथा अन्य संकर्मों की तैयारी के लिए किए जाने वाले विभिन्न अन्वेषणों और अध्ययनों के संबंध में बोर्ड को सलाह देगी।

(ग) ब्रह्मपुत्र बोर्ड द्वारा बोर्ड की रूपरेखा के अधीन किए जाने वाले संकर्मों की पूर्णता पर निश्चित करेगी।

(घ) ऊपर (ख) और (ग) में यथाविनिर्दिष्ट अध्ययनों, अन्वेषणों या संकर्मों के लिए समय वेतना उपदर्शित करेगी।

(ङ) स्थायी समिति के विनिश्चय/अनुमोदन इसके अनुसमर्थन के लिए अव्यवहित अगली छह में बोर्ड के समक्ष रखा जाएगा।

3. All words and expressions used in these rules but defined shall have the meaning respectively assigned to in the Act.

4. Composition of the Standing Committee-The Standing Committee shall consist of :-

- | | |
|---|----------------------|
| 1. Chairman/Vice Chairman of the Board - | Chairman |
| 2. Member, Central Water Commissioner - | Member |
| 3. Financial Adviser - | Member |
| 4. Secretary to the Government of Assam - | Member |
| 5. General Manager- | Member
(Convener) |

5. Duties, powers and functions of the Standing Committee.-The Standing Committee shall :-

- (a) examine the annual Action Plan of the proposed survey and investigations prepared by the Board vis-a-vis budget allocation for every financial year and advise the Board to take

action appropriately.

- (b) advise the Board on various investigations and studies to be taken up for the preparation of master plans, multipurpose projects, drainage development schemes and other works as decided by the Board.
- (c) decide the priority works to be taken up by the Brahmaputra Board under the framework of the Board.
- (d) indicate time-frame for such studies, investigations or works as referred to in (b) and (c) above.
- (e) decisions/approval of the Standing Committee shall be placed before the Board in its immediate next meeting for its ratification.
- (f) exercise financial powers and delegate financial powers to the various executive functionaries in the field offices of the Board for carrying out their day-to-day activity.

[No.23/4/95-ER]

HARBHAGWAN KHETWANI, Under Secy.